आदेश

22.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र मुरटालागाला पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम मुरटलागाला पटवार क्षैत्र महाबार में उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है, जो अविभाजित है। उक्त भूमि में प्रार्थी ने अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण उसके हिस्से की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीयन कर प्रार्थी को अप्रार्थीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। प्रार्थी ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नही ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में नही है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अंकित होने के कारण उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किये जाने का कोई न्यायोचित कारण विध्यमान नही होने से एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner